



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, Const.DIV. POKHARI

Ph. No/Fax No :- 01372-222156

E Mail :- eepwdpokhari@rediffmail.com

पत्रांक 1386/11सी0

दिनांक 11/09/2018

सेवा में,

उप वन संरक्षक,  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,  
गोपेश्वर (चमोली)।

विषय:-

पोखरी-हरिशंकर-चौड़ी-रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग हेतु वन भूमि प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-  
महादेय,

**Proposal No. FP/UK/ROAD/34730/2018 EDS Date 10/09/2018.**

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में पोखरी-हरिशंकर-चौड़ी-रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	इंगित आपत्ति	निराकरण
01	The other documents uploaded in the column L-(iv) g in place of MOU signed between user agency and present owner for CA. the documents uploaded are related to agreement between of Nap land and construction department, while in these place the document need to be uploaded regarding to area proposed for CA Form A part I.	The Objection has been corrected at required part 1 online.

संलग्न:-

उपरोक्तानुसार।


*Hehnsia*  
11/09/18

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पोखरी

परियोजना का नाम:— राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी—हरिशंकर—चौण्डी—रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.180 है० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एम० ओ० यू० प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले 1.180 है० वन भूमि के एवज में दुगुने 2.36 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सिमलासू, तहसील पोखरी, जिला चमोली के खाता संख्या 13 के खसरा नं० 60, 341, 348, 357 की सिविल सोयम भूमि, जो कि राज्य सरकार की भूमि है तथा जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है, याचक विभाग की मांग के अनुसार सम्बन्धित भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के लिए राजस्व विभाग सहमत है।

  
उपजिलाधिकारी  
पोखरी